फर्द अहकाम

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मुकाम बायतु

खेताराम बनाम चैनाराम वगैरा

किस्म मुकदमा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 नं. 199 सन् 2017

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिषियल्यस जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
12.06.17	प्रार्थी की ओर से वकील श्री खेताराम जाखड़ द्वारा यह आवेदन धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया गया जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थी को अन्तरिम आदेश हेतु उनकी एकपक्षीय बहस को सुना गया। पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्यनन किया गया। वकील प्रार्थी के अनुसार प्रार्थी की खातेदारी कब्जा काश्तशुदा कृषि भूमि मौजा हेमाणियों का तला पटवार मण्डल बाटाडू के खेत खसरा नम्बर 1574/1526 रकबा 06.11 बीघा में आई हुई है। प्रार्थी की कब्जा काश्त की भूमि में विप्रार्थीगण दखलअन्दाजी करने, बेदखल करने तथा पुरानी माठे तोड़ने पर आमादा है और यदि ऐसा हो गया तो वाद बहुलता बढ़ेगी। वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति एवं प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष का बनना प्रतीत होता है। अतः विप्रार्थीगण को आगामी पेशी तारीख 7/8/17 तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है एवं अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि विवादित आराजी मौजा हेमाणियों का तला पटवार मण्डल बाटाडू के खसरा नम्बर 1574/1526 रकबा 06.11 बीघा की भूमि में विप्रार्थीगण किसी प्रकार की दखलअन्दाजी, हस्तक्षेप कारित नहीं करें, न ही पुरानी माठे तोड़ने का प्रयास करें तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखें। विप्रार्थीगणों को स्थगन नोटिस जारी होकर मिसल वास्ते जवाब दिनांक 7/8/17 को पेश हों। सहायक कलक्टर (प्रथम) बायतु	
07/08/17	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील अदम तामील फेहरिस्त। इन्तजार होकर पत्रावली वास्ते [illegible] दिनांक 20/09/17 को पेश हो। तब तक [illegible] आदेशानुसार प्रभावी रहेगा।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 14:12:40 IST
Reason: SelfAttested

28/09/17 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगणों के नोटिस तामील अदम तामील अप्राप्त। इन्तजार होकर पत्रावली वास्ते दिनांक 13/12/17 को पेश हो। तब तक स्थगन आदेश पूर्वनिर्देशानुसार यथावत रहेगा।

13/12/17 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगणों के नोटिस तामील अदम तामील अप्राप्त। श्रीमान पीठासीन अधिकारी अवकाश पे पधारे हुए है अतः मिसल इन्तजा होकर आगामी दिनांक 22/01/18 को पेश हो। तब तक स्थगन आदेश पूर्वनिर्देशानुसार यथावत रहेगा।

9/6/2020 पत्रावली प्रस्तुत हुई, मूल वाद में वादी के अधिवक्ता ने Not Press किया है। प्रार्थी के अधिवक्ता के Not Press में प्रार्थना पत्र अन्तरिम स्थगन खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो।

9.6.2020

सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 14:12:40 IST
Reason: SelfAttested